न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–90/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/90

अपीलाण्ट :–

1. श्रीमती वीरा पत्नी हरजी,
2. गिरधारी पुत्र हरजी के

का. मु.

2/1– वरजू पत्नि गिरधारी
2/2– भारू पुत्र गिरधारी
2/3– करसन पुत्र गिरधारी
2/4 सांवलाराम पुत्र गिरधारी
2/5 केसाराम पुत्र गिरधारी

3. नाथ पुत्र हरजी
4. पीरा पुत्र हरजीं
5. भूरा पुत्र हरजी
6. कानजी पुत्र प्रागा
7. श्रीमती मीरा पत्नी प्रागा समस्त जातियान कोली, निवासीगण गिड़ा हाल–खेजड़ियाली तहसील चितलवाना जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. मालाराम पुत्र श्री तुलसाराम
2. मगाराम पुत्र तुलसाराम

जातियान सुथार, निवासीगण नवापुरा, तहसील सेवडा जिला बाडमेर।

3. गणेशा वल्द परबा जाति

जागिंड–ब्राहमण

4. सायदा वल्द अणदा जाति जाट,
5. प्रेमा वल्द राजा जाति कोली, समस्त निवासीगण चामुण्डा नगर (खेजडीयाली) तहसील चितलवाना, जिला जालोर
6. सरकार जरिये तहसीलदार, चितलवाना जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के प्रकरण संख्या 62/2014 निर्णय दिनांक 30.11.2015

उपस्थिति :–
1– श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, श्री राधाकिशन चौधरी विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2– श्री दौलत मकवाना, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ।

30/11/15

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

राजस्व अपील संख्या–90/2024 वीरा बनाम माला वगैरा

:: निर्णय ::

दिनांकः– 30/9/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के प्रकरण संख्या 62/2014 के निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस विद्वान वकुलाय की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एवं खिलाफ रेकर्ड होने से काबिले खारिज है।

अपीलान्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का आपसी बंटवाड़ा हुआ नही है व आराजी के पुराना खसरा नं0 92 जिसका रकबा 147 बीघा 4 बिस्वा था उसका अलग अलग बट्टा नम्बर दर्ज होकर भूमि एलोटमेंट की गई। पुराना खसरा नं0 92, 93 प्रथम सर्वे से जिस कदर अलग अलग है उसी कदर पक्षकारान काबिज है। इस तर्क पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही फरमाकर भारी भूल की है। इस बिनाय पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिले खारिज है।

अपीलान्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय में यह भली भाँति साबित कर दिया कि खसरा नं0 93 अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि के मेडबन्दी की हुई है। उक्त भूमि के सेढे पर बडे–बडे दरखत खडे है तथा अपीलान्ट्स काबिज है। इस तर्क पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही फरमाकर भारी भूल की है। इस बिनाय पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिले खारिज है।

अपीलान्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय में यह भली–भाँति साबित कर दिया कि दोनों खातेदारान प्रथम सर्वे से अलग अलग रूप से अपने अपने बंट पर एवं खसरा पर काबिज है एवं उक्त खसरा प्रथम सर्वे से अलग तरमीम सुदा है। ऐसी सूरत में नई तरमीम की आवश्यकता नही है। इस बिनाय पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिले खारिज है।

अपीलान्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय में यह भली भाँति साबित कर दिया कि रेस्पोडेन्ट्स गलत तरमीम के आधार पर नेखमबन्दी करवाना चाहता है जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। इस तर्क पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही फरमाकर भारी भूल की है। इस बिनाय पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिले खारिज है।

रेस्पोडेन्ट्स माला, मगा, पडौसी खसरा नम्बर भूमि के खरीददार है जिन्होने वर्षों पूर्व जिस कदर भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया उसी कदर से आज भी वे काबिज है,

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

नया कब्जा प्राप्त करने का कानूनन उन्हें अधिकार नही है, बिना कब्जे की क्रय की गई भूमि प्रभावशून्य है। इस बिनाय पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिले खारिज है।

रेस्पोडेन्ट्स ने रेकर्ड से हटकर नजरी नक्शा पेश किया जो पुराना रेकर्ड के अनुसार नही होकर गलत तरमीम का नक्शा प्रस्तुत किया है। नजरी नक्शा पुराने रिकार्ड से मेल नही खाता है। इस बिनाय पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिले खारिज है।

वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स माला, मगा का कब्जा नही है। उक्त भूमि पर खरीद से लेकर के आज तक किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नही रहा है। रेस्पोडेन्ट्स सं० 1 व 2 इस प्रार्थना पत्र की आड़ में प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। अपीलाण्ट का कब्जा है।

रेस्पोडेन्टस सं० 1 कब्जे के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकता है। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट्स को यह प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है। मामले हाजा में विवाद कब्जे को लेकर है। ऐसी सूरत में धारा 111, 128 राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। इस बिनाय पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिले खारिज है।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये हुए तथा अपने निर्णय में यह कही भी उल्लेख नहीं किया कि काउन्टर क्लेम किस आधार पर खारिज किया जा रहा है। इस बिनाय पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिले खारिज है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार फरमायी जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30–11–2015 को खारिज फरमाया जावे। दीगर दादरसी मुफिद अपीलाण्ट्स हो वो अता फरमायी जावें।

5. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने बहस में अभिकथन कर निवेदन किया कि –

सरहद मौजा चामुण्डानगर, पटवार हल्का खेजड़ीयाली में हम अप्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकूक कब्जाकाश्त के खेत खसरा नम्बर 386 रकबा 2.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 386/1401 रकबा 0.13 हैक्टर व खसरा नम्बर 1848/386 रकबा 2.00 हैक्टर का आया हुआ है। जिसमें खसरा नम्बर 386 रकबा 2.85 हैक्टर व खसरा नम्बर 386/1401 रकबा 0.13 हैक्टर में यानि कुल रकबा 2.98 हैक्टर में सायबा वल्द अणदा द्वारा भूमि माला व मगा को बेचान करने पर इनके नाम 1.76 हैक्टर भूमि इनके खातेदारी व कब्जाकाश्त की आई हुई है तथा शेष 1.22 हैक्टर भूमि रेस्पो. के कब्जेकाश्त खातेदारी की आई हुई है। खसरा नम्बर 1848/386 रकबा 2.00 हैक्टर भूमि गणेशा से अप्रार्थी माला व मगा ने खरीद कर व कब्जा प्राप्त करने से उक्त भूमि माला व मगा के नाम खातेदारी व कब्जाकाश्त की आई हुई है। उपरोक्त हिस्से अनुसार उक्त आराजी का अप्रार्थीगण सदैव लगान अदा करते आ रहे हैं।

अप्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त के उक्त खेत नक्शे में अलग तरमीमसुदा आये हुए है। लेकिन उक्त खेतों की माठ को प्रार्थीगण अपनें खेत में मिलानें की चेष्टा करते रहते हैं। उक्त खेत की माठ पर वर्षों पुरानें खड़े दरखत को काटकर माठ को तोड़ते रहते हैं तथा जबरन हमारे खेतों को हड़पना चाहते हैं। प्रार्थीगण आये दिन उक्त माठ को लेकर टंटा फसाद करनें को उतारू रहते हैं। जिससे प्रार्थीगण के झगड़े टंटे का सामना नहीं कर सकते। इस हेतु अप्रार्थीगण नें गांव के मौजूज पंच मुखियानों को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

इकट्ठा कर पंच–पंचायती भी करवाई। किन्तु प्रार्थीगण नहीं मानें तथा अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं तथा मौका पाकर आये दिन हम अप्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त के खेत की माठ तोड़कर सीमाएं नष्ट करते रहते हैं। इसका स्थाई हल मात्र खेतों की स्थायी नेखबन्दी, पत्थर चीणें, दीवार आदि बनाकर ही हो सकता है। अप्रार्थीगण नें उक्त खेतों का सीमांकन भी हल्का पटवारी से करवाया गया। लेकिन नही मानकर प्रार्थीगण नें झगड़ा–टंटा करनें पर उतारू रहते हैं तथा प्रार्थीगण ऐलानियां धमकियां देते हैं कि हम आपको एस.सी.एस.टी. के झूठे मुकदमें में फंसाकर जेल भिजवा देंगे, खेत की बात मत करो।

मौजा चामुण्डानगर, पटवार हल्का खेजड़ीयाली में अप्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकूक कब्जासुदा के खेत खसरा नम्बर 386 रकबा 2.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 386/1401 रकबा 0.13 हैक्टर, व खसरा नम्बर 1848/386 रकबा 2.00 हैक्टर की सीमा का स्थायी नेखमबन्दी हेतु पत्थरगड्डी चीणों से करनें का आदेश जारी फरमावें।

6. हमने उपस्थित वकील अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्टस की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में न ही जवाब लिया तथा न ही जांच रिपोर्ट जैर अपील प्रकरण मे प्राप्त की गई एवं न ही सी.पी.सी. के प्रावधानो के अनुसार सुना गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच रिपोर्ट के निर्णय पारित कर दिया जिसको यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के प्रकरण संख्या 62/2014 दिनांक 30.11.2015 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उभय पक्षकारान के खातेदारी के खसरा नम्बर के रकबे की नक्शा आकृति की रकबे की गणना (रकबा बरारी) करवाकर सम्पूर्ण स्थिति की जांच कर मौका निरीक्षण करवाकर अपीलाण्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)